



राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाइट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:-एफ 12(10)रा.आ./स्था./परिपत्र/2018/पार्ट-I/

दिनांक:

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के समक्ष पक्षकारान् व अधिवक्तागण द्वारा दस्तावेजात् की फोटो प्रतियाँ पेश की जाती है। उक्त प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजात् व फोटोप्रतियाँ, सूची (फार्म नम्बर-3) के साथ स्वः प्रमाणित व हस्ताक्षरित करे बिना प्रस्तुत की जाती है।

अतः निर्देशानुसार निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में पक्षकारान्/ अधिवक्तागण द्वारा राज्य आयोग एवं जिला आयोगों के समक्ष लम्बित प्रकरणों (अपील/परिवाद) में कोई भी दस्तावेजात् /फोटोप्रतियाँ स्वः प्रमाणित कर मय सूची (फार्म नम्बर-3) हस्ताक्षरित कर दस्तावेजात् के उपर लगाई जाकर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें। इसके अभाव में कोई भी दस्तावेज ग्रहण नहीं किये जा सकेंगे।

Sd/
(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार

क्रमांक:-एफ 12(10)रा.आ./स्था./परिपत्र/2018/पार्ट-I/606-616 दिनांक: 28-07-2021
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
2. माननीय न्यायिक सदस्य/गैर न्यायिक सदस्य, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
3. निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच, कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर (ई-मेल से)।
5. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (समस्त) राजस्थान (ई-मेल से)।
6. प्रभारी प्रस्तुतीकरण/न्यायिक शाखा, कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करावें।
7. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण बार एसोसियेशन, जयपुर।
8. अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता संरक्षण बार एसोसियेशन, (समस्त राजस्थान) जरिये सम्बन्धित अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, समस्त राजस्थान।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. नोटिस बोर्ड, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

3/
(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार